आकाशवाणी केन्द्र शिमला

07.09.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान का वे स्वयं जायज़ा ले रहे हैं और इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष भी उठाया गया है। वे आज हमीरपुर ज़िले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित गांवों का दौरा करने के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेघर परिवारों को मकान निर्माण के लिए वन विभाग की सुरक्षित भूमि हस्तांतरित करने का मामला भी केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ है और बेघर हुए परिवारों के मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार अपने संसाधनों से सात–सात लाख रूपए की राशि प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने सुजानपुर क्षेत्र में राहत व पुनर्वास कार्यों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश भी दिए।

विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में आपदा से लोक निर्माण विभाग को करीब अढ़ाई हज़ार करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी भी एक हज़ार दो सौ से अधिक सड़कें अवरूद्ध हैं जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि आपदा से उबरने के लिए केन्द्र से भी भरपूर मदद लाने का प्रयास किया जाएगा।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भविष्य में नई सड़क के निर्माण कार्य में यदि अधिकारी लापरवाही बरतते हैं या वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नदी–नालों में डंपिंग को लेकर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जीएसटी

वस्तु और सेवा कर यानी जी.एस.टी. की दरों में हाल ही में किए गए सुधार आगामी 22 सितम्बर से लागू होंगे। नई जी.एस.टी. दरों का चिकित्सा क्षेत्र पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहित सभी चिकित्सा उपकरणों पर जी.एस.टी. की दरें घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। पट्टियों, डायग्नॉस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों पर भी जी.एस.टी. दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा, 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कोई जी.एस.टी. लागू नहीं होगा। कैंसर और गंभीर बीमारियों से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण दवाओं को भी जी.एस.टी. से मुक्त रखा गया है। एम्बुलेंस और एम्बुलेंस की फिटिंग, फर्नीचर और चिकित्सा सहायक उपकरणों वाले मोटर वाहनों पर अब 18 प्रतिशत जी.एस.टी. लगेगा।

....